छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्थापना–1/2020–21/741 नवा रायपुर,दिनांक :15/10/2020

//विज्ञापन//

निगम में गुणवत्ता परीक्षण कार्य सम्पादन हेतु गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष 54 मानव संसाधन व्यक्तियों की सेवाएँ प्लेसमेंट एजेंसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना है। निविदा संबंधी नियम व शर्तो की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाईट www.cgstate.gov.in के नोटिस बोर्ड पर अपलोड है। इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसियाँ निम्नानुसार तिथि अनुसार अपना ऑफर प्रस्तुत कर सकते है :–

निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	15/10/2020
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	17/11/2020 अपरान्ह 3 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	17/11/2020 अपरान्ह 4 बजे

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय हेतु मानव संसाधन (गुणवत्ता परीक्षण कार्य) की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक – 743

रायपुर, दिनांक : 15/10/2020

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदाकार/फर्म का नाम एवं पता :– .....

.....

निविदा प्रपत्र का शुल्क	निरंक
अमानत राशि	3,00,000.00 (तीन लाख रू. मात्र)
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	15/10/2020
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	17/11/2020 अपरान्ह 3 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	17/11/2020 अपरान्ह 4 बजे

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

निविदा की नियम एवं शर्ते

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर गुणवत्ता परीक्षण कार्य सम्पादन हेतु गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष लगभग 54 मानव संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती हैं।

2. निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रू. 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट पृथक से लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि अनुबंध के समय जमानत राशि के रूप में सम्मिलित की जावेगी।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

I. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध (गुणवत्ता निरिक्षण कार्य) कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय मानव संसाधन की संख्या सहीत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

II. गत वित्तीय वर्ष 2017–18 , 2018–19 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर (संबंधित क्षेत्र) में कम से कम एक वर्ष में रू. 01 करोड़ होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

III. एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, जीएसटी, ईएसआईसी आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने के उपरांत ही प्राईज बिड खोली जावेगी।

IV. एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

V. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नम्बर/जीएसटी नंबर प्राप्त हो, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VI. विगत तीन वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में से कम से कम दो Assesment Year का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VII. निविदा की शर्तो के अर्न्तगत मानव संसाधन की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं मासिक मानदेय (प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह) निम्नानुसार होनी चाहिये :–

क्र.	पदनाम	संख्या	अनुमानित मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति) समस्त कर सहित	शैक्षणिक योग्यता
1.	गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष मानव संसाधन	54	14,200.00	बी.एस.सी. (एग्रीकल्चर) अथवा बी.एस.सी. (बायोलॉजी/बायोटेक/माइक्रो बायोलॉजी) एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री।

प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिये जाने पर उक्त वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की सख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। यदि नियोजित कर्मी द्वारा निगम/विभाग को आर्थिक हानि पहुँचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी पर ही होगी। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

VIII. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि 06 (छः) माह की होगी जिसे आवश्यकतानुसार अधिकतम आगामी 03 (तीन) माह तक पूर्णतः या अंशतः समान दरों एवं शर्तो पर बढ़ाया जा सकेगा जिसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी बाध्य रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा सात दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति में अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य की निगम में निविदा हेतु काली सूची में डाल दिया जाएगा।

5. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान** :– प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को एकमुश्त देयक राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा :– निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मियों से प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में जमा कर करना होगा। ई. पी.एफ, ई.एस.आई.सी. आदि कटौती उपरांत जमा किये गये चालान/रसीद एवं जी.एस.टी. की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा।

6. जी.एस.टी. दरों का उल्लेख निविदा फार्म में करना अनिवार्य रहेगा।

7. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव** :–

I. प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का **स्पष्ट उल्लेख दर संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट–1 में करना होगा।**

II. सेवा अनुबंध अवधि सामान्यतः 06 (छः) माह के लिए होगी परंतु आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि में अधिकतम 03 (तीन) माह तक वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

III. यदि दो या अधिक निविदादाता को वित्तीय मूल्यांकन में समान दर प्राप्त होते है, तो न्यूनतम वित्तीय दर टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों में मानव संसाधन (गुणवत्ताकर्मी) उपलब्ध कराने हेतु समान अनुपात में सेवा ली जाएगी ।

IV. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था को सर्विस चार्ज राशि रूपये में प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, उनके प्रस्ताव पर विचार कर यदि आवश्यकता होगी तो निगोशियेशन उपरांत दरों की स्वीकृति दी जावेगी और सफल निविदाकार से अनुबंध किया जायेगा।

V. उपरोक्त मानव संसाधन के लिए प्रतिमाह देय राशि पूर्व वर्णित दरों के विवरण वाले प्रपत्र में पूर्ण रूपेण प्रविष्टि कर प्रस्तुत करनी होगी। वर्तमान में लागू वैधानिक दायित्व जैसे GST की राशि भरना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा सर्विस/मार्जिन राशि फर्म के लागत आधार पर विवेकानुसार भरा जा सकता है, किन्तु यह राशि निरंक नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तो को पालन ना करते हुए निविदा भरी जाती है, तो उनकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। राउन्डअप राशि मान्य नहीं की जावेगी, राउन्डअप करने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

8. निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था का छत्तीसगढ़ स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन में पंजीकृत होना अनिवार्य है, पंजीयन की छायाप्रति संलग्न किया जावे। अन्य राज्य में पंजीकृत इकाई की निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।

9. निविदादाता का राशि रू. 10.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. चयनित संस्था/फर्म/एजेंसी का मासिक भुगतान माह समाप्ति पश्चात् किया जावेगा। विगत माह के जी.एस.टी. जमा राशि की पावती देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. मानव संसाधन कर्मी के प्रतिमाह अंशदान की राशि निर्धारित मानदेय/वेतन में सम्मिलित रहेगी तथा नियमानुसार कटौती कर जमा करने की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

12. निविदाकार निविदा फार्म अविकल्प रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किये विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके सभी पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

निविदाकार को **अमानत राशि एक पृथक लिफाफे (लिफाफा–ए)** में रख कर देना होगा एवं वांछित दस्तावेज यथा फर्म का पंजीयन, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन, जीएसटी, अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर रिटर्न आदि **एक लिफाफे (लिफाफा–बी)** में रख कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्निकल बिड लिख कर प्रस्तुत करना होगा।

प्राईज बिड अन्य लिफाफे **(लिफाफा–सी)** में **"जिस पर प्राईज बिड लिखा हुआ हो, भरकर प्रस्तुत करना होगा।"**

उपरोक्तानुसार निविदाकार को अमानत राशि, टेक्निकल एवं प्राईज बिड अलग–अलग लिफाफे लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे पर गुणवत्ता कार्य में दक्ष मानव संसाधन की सेवाएं लिख कर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव जमा किये जाने की अंतिम तिथि 17/11/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे तक है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. निविदाकार द्वारा, शासन द्वारा संविदा गुणवत्ता कर्मी के लिये मान्य समेकित न्यूनतम वेतन देना होगा, जिसका वर्तमान दर प्रति व्यक्ति राशि रू. 14,200.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही **परिशिष्ट–1** में निविदा दरें भरी जायेगी।

14. निविदाकार कंपनी /पार्टनरशीप फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म होने की दशा में कंपनी का MOA फर्म डीड/ फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र संलअग्न करना अनिवार्य होगा।कंपनी की दशा में MOA में मानव संसाधन आपूर्ति करने का उद्देश्य कंडिका में स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिये।

अन्य शर्तें :–

1. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गयी राशि की रसीद की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।
2. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
4. उक्त कर्मियों का E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती नियमानुसार करना होगा। नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान E.P.F. एवं E.S.I.C. कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि

माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत नियमानुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 08 घंटे प्रतिदिन का होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा।

6. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

7. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

8. उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा।

9. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

10. सभी कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के कहने पर अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जिससे निगम को किसी भी प्रकार की हानि हो, ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

11. कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश से किया जा सकेगा।

12. शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी., ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं सर्विस चार्ज को पृथक से दर्शाते हुए फर्म अपनी दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

13. मानदेय/वेतन की दरें शासन द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम को होगा।

14. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

15. फर्मो को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

16. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षो हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जावेगी।

17. उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिना की समय सीमा उभयपक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित नहीं किया जाता तो, क्षुब्ध पक्ष उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

18. मानव संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। जिन लोगों को फर्म ने निगम में काम करने के लिए प्रस्तावित या चयनित किया है, उनकी योग्यता का भौतिक सम्यापन की जिम्मेदारी फर्म की होगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति जिसको फर्म ने नाम प्रस्तावित या चयनित कर

निगम में कार्य करने हेतु भेजा है, तो उसकी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों को वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी फर्म की होगी, न की निगम की।

19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

20. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट–1

प्रति गुणवत्ताकर्मी प्रति माह प्रस्तुत करने हेतु दरों का विवरण

क्र.	विवरण	गुणवत्ताकर्मी हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दर (अंको में)	रिमार्क
1	2	3	4
1.	मासिक मानदेय	14,200.00	
2.	ई.पी.एफ. **13%**		
3.	ई.एस.आई.सी. **3.25%**		
4.	सर्विस चार्ज		सर्विस चार्ज अनिवार्य रहेगा।
5.	**योग**		
6.	जी.एस.टी. (सरल क्रमांक 5 का **18%**)		
7.	**कुल योग (5+6)**		राशि पूर्णांक (राउण्डप) में नहीं करेंगे

A. कृपया निविदा प्रपत्र के अन्य शर्ते की बिन्दु क्रमांक–4 का अनिवार्यतः ध्यान रखा जाय।

B. मानव संसाधन कर्मी को प्रतिमाह फर्म द्वारा उपरोक्तानुसार दर्शित निर्धारित वेतन देय होगी।

C. उक्त प्रतिमाह देय राशि मे से नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी कटौत्रा की जिम्मेदारी फर्म की होगी, नियोक्ता का अंशदान फर्म द्वारा ही दिया जाएगा।

D. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों (जीएसटी एवं अन्य कर सहित) के भुगतान की जवाबदेही निविदाकार की होगी।

E. मानव संसाधन कर्मी को उपरोक्तानुसार प्रतिमाह मानदेय राशि+**EPF+ESIC+GST** एवं सर्विस चार्ज तथा अन्य कर से अगर कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

उपरोक्तानुसार मेरे/हमारे द्वारा दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता
मो.नं. .....
Email ID .....